अपील सं. 26/2023 जी.सी.एम.एस. नं. 2023/279
तहसीलदार अनूपगढ़ बनाम मोहनलाल आदि
अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये
14.03.2024	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी उपस्थित। संशोधन शीर्षक अपील एवं एलआर सूची प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा। अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं. 5 से 7 ने जवाब प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि. प्रस्तुत किया। अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं. 4 एवं प्रत्यर्थी जयसिंह पुत्र मनीराम(वारिस प्रत्यर्थी सं. 2) एवं प्रत्यर्थी साजन राम पुत्र ख्यालीराम(वारिस प्रत्यर्थी सं.3) उपस्थित। अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं. 4 ने निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा मृतक प्रत्यर्थी सं. 1,2,3 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की हैं, प्रत्यर्थीगण की मृत्यु अपील प्रस्तुत होने से पूर्व हो चुकी थी। इसलिए अपील मृतक के विरूद्ध विचारण योग्य नहीं होने तथा अपील बाहर मियाद प्रस्तुत किये जाने से इसी स्तर पर खारिज करने हेतु निवेदन किया, साथ ही अपील में प्रश्नगत भूमि रिकार्डेड गैर खातेदार होने के कारण उक्त भूमि का बेचान भी अवैध हैं को निरस्त किये जाने के लिए निवेदन किया। अपीलार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि उनके द्वारा अपील पटवारी हल्का से राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त परिवाद की जांच रिपोर्ट दिनांक 09.10.2017 को प्राप्त होने पर प्रकरण से संबंधित जानकारी प्राप्त होने से अन्दर मियाद प्रस्तुत की गयी हैं। अपील अन्दर मियाद ग्रहण करते हुए सुनवाई किये जाने के लिए निवेदन किया। अपीलार्थी ने निवेदन किया कि प्रश्नगत भूमि गैरखातेदार हैं, जिस पर खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं किये हैं, गैर खातेदारी भूमि का प्रत्यर्थी सं. 5 से 7 के पिता व माता के नाम से पंजीकृत करवाया गया बैयनामा विधि विपरीत होने से बैयनामा के आधार पर दर्ज इन्तकाल निरस्त किये जाने योग्य हैं। इसके उपरान्त दिनांक 28.08.2006 को रेस्पों. सं. 5 से 7 के पक्ष में दर्ज किया गया इन्तकाल भी निरस्त किये जाने योग्य हैं। अपील स्वीकार करने हेतु आलौच्य आदेश निरस्त फरमाने के लिए निवेदन किया। प्रत्यर्थी सं. 5 से 7 के अधिवक्ता ने प्रा.पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन करते हेतु कथन किया कि अपीलार्थी के द्वारा इंतकाल आदेश दिनांक 13.10.1987 एव 28.08.2006 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी हैं। अपील न्यायालय में दिनांक 12.10.2017 को प्रस्तुत की गयी हैं जो कि मियाद बाहर होने से खारिज योग्य हैं। अपीलार्थी के द्वारा अपील को अन्दर मियाद ग्रहण किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में दर्ज किये गये तथ्य विश्वसनीय नहीं हैं [illegible] अपीलार्थी के ही निर्देशन में होती हैं ऐसी स्थिति [illegible] का यह कथन करना कि उन्हें [illegible] हैं क्योंकि समस्त रिकार्ड [illegible] प्रश्नगत भूमि के संबंध में प्रश्नगत बैयनामों की वैधता के संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध प्रतिलिपि निर्णय सहायक आ[illegible]त उपनिवेशन इ.गा.न.परि. घड़साना मु. अनूपगढ़ के निर्णय दिनांक 06.08.1986 की ओर ध्यान दिलाते हुए निवेदन किया कि प्रश्नगत भूमि का प्रत्यर्थी सं. 5 से 7 के पिता व माता को किए गए बैयनामा को सहा. आयुक्त उपनिवेशन, इ.गा.न.परि. घड़साना मु. अनूपगढ़ के द्वारा धारा 13ए राज. उप.अधि. के तहत वैद्य घोषित किया हुआ हैं। जिसके पश्चात उक्त भूमि का नामान्तरण दिनांक 13.10.1987	लगातार.....

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.13 17:30:12 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये

दर्ज किया गया हैं। एवं इसके उपरान्त वसीयत के आधार पर इन्तकाल सं. 28.08.2006 के द्वारा भूमि प्रत्यर्थी सं. 5 से 7 के पक्ष में दर्ज की गयी हैं। अपीलार्थी ने स्वयं के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपील पेश की हैं, जो कि नाकाबिल चलने के हैं। अपील बाहर मियाद होने और सारहीन तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किये जाने के कारण इसी स्तर पर खारिज करने हेतु निवेदन किया।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। तहसीलदार भू.अ. अनूपगढ का आलौच्य आदेश दिनांक 13.10.1987 जिसके द्वारा चक 15 एपीडी प.नं. 266/400 कि.नं. 1 से 20 की 20 बीघा भूमि का बैयनामा आधार पर मोहनराम आदि के स्थान गुरदिताराम हि. 300 व रामप्यारी हि. 100 रिकार्ड में दर्ज किया गया हैं तथा तहसीलदार भू.अ. अनूपगढ़ का आलौच्य आदेश दिनांक 28.08.2006 जिसके द्वारा वसीयत आधार पर उक्त भूमि का इंतकाल प्रत्यर्थी सं. 5 से 7 के पक्ष में दर्ज किया गया हैं, के विरूद्ध अपीलार्थी तहसीलदार अनूपगढ़ द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी हैं। स्वयं के आदेश के विरूद्ध ही अपील मय प्रा. पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के दिनांक 12.10.2017 को प्रस्तुत की गयी। मियाद प्रा.पत्र प्रस्तुत कर अपील को जानकारी से अन्दर मियाद ग्रहण करने हेतु निवेदन किया गया हैं। जबकि आलौच्य आदेश स्वयं तहसीलदार अनूपगढ़ द्वारा पारित किया गया हैं, जो रिकार्ड उनके स्वयं के अधीनस्थ निगरानी में संधारित हैं ऐसी स्थिति में अपीलार्थी का यह कथन कि उन्हें अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं थी, स्वीकार नहीं किया जा सकता हैं। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का मुख्य आधार हैं कि अपीलाधीन भूमि बेचान के समय गैरखातेदारी होने से बेचान अवैद्य होने के कारण आलौच्य आदेश निरस्त किये जाने योग्य हैं। इस संबंध में प्रत्यर्थी सं. 5 से 7 की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज प्रतिलिपि निर्णय अनुसार सहायक आयुक्त उपनिवेशन इ.गा.न.परि. घड़साना मु. अनूपगढ़ के निर्णय दिनांक 06.08.1986 के द्वारा उक्त भूमि के बेचान को राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 13ए के तहत विधिमान्य घोषित किया जा चुका हैं।

उक्त विवेचन के आधार पर अपील बाहर मियाद होने तथा सारहीन होने के कारण खारिज की जानी उचित हैं। अतः अपील अपीलार्थी मय प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम इसी स्तर पर खारिज की जाती हैं। पत्रावली [illegible] होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 14.03.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.13 17:50:12 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

(अवधेश मीना)
I.A.S.
जिला कलक्टर अनूपगढ़
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़